

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या-1/मु0स्था0रा0मू0/बि0मू0न्या0 26-02/2026- (1)/रा0, पटना-15, दिनांक-

बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-04(2) के परन्तुक निम्नवत् है:-
न्यायाधिकरण में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एवं न्यायिक तथा प्रशासनिक धाराओं से लिये गये अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायाधिकरण के कुल सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा कर सकती है।

वर्तमान में राज्य में भूमि विवाद संबंधी मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार भूमि न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों (न्यायिक तथा प्रशासनिक) की संख्या होने के बावजूद अनेकों मामले/वाद लंबित हैं। राज्य के आम जनता की सुविधा एवं भूमि विवाद से संबंधित लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की कंडिका-4(2) के परन्तुक के प्रावधान के आलोक में न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित कर 07 (सात) किया जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम प्राधिकार होंगे।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जय सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/मु0स्था0रा0मू0/बि0मू0न्या0 26-02/2026-

(1)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।

ह0/-

(जय सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/मु0स्था0रा0मू0/बि0मू0न्या0 26-02/2026-

(1)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार/कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांगार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(जय सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/मु0स्था0रा0मू0/बि0मू0न्या0 26-02/2026-560

(1)/रा0, पटना-15, दिनांक-15-05-2026

प्रतिलिपि :- निबंधक, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/विभागीय सभी निदेशालय एवं संलग्न कार्यालय/सभी विभागीय पदाधिकारी/माननीय मंत्री कोषांग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)

सरकार के सचिव